



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-06.02.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा अंतर्गत स्थित शाखा छज्जापुर पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी/गबन करने से सम्बंधित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद को थाना कोतवाली टांडा

पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में निरी0अप0 श्रीचन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद , का0 भूपेन्द्र यादव, म0का0 आरती पाण्डेय थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष को अभियुक्त को फुलवरिया तिराहे से दिनांक 06.02.2026 के समय 07.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वादिनी रूपवती पत्नी जगदीश प्रसाद तथा अन्य लगभग 15-16 व्यक्तियों द्वारा जनता दर्शन मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर करीब 32 वर्ष द्वारा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पालिसी देने के नाम पर एनटीपीसी व एनएचआई द्वारा अधीग्रहित भूमि से अर्जित मुआवजे की रकम को फ्राड कर हड़प लिया है । सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टाण्डा को दी गयी । जांच के क्रम में वादिनी रूपवती तथा अन्य लोगो के बयान से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त उमेर द्वारा पांच साल मे पैसे डबल करने का लालच देकर मुआवजा पाये व्यक्तियों से फ्राड किया गया है । अभियुक्त उमेर द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगो को प्रेरित कर पालिसी के नाम पर ब्लैंक चेक लिये गये है तथा कम पैसे की पालिसी कर बाकी पैसा अभियुक्त उमेर के सगे सम्बन्धियों के खाते में उमेर के खाते में तथा उमेर द्वारा नगद निकाला गया है । उमेर द्वारा अपने साथी शरद तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार फर्जी बाण्ड पेपर लोगो को देकर उनसे मुआवजे की रकम का भी फ्राड किया गया है । यह कार्य उमेर द्वारा वर्ष 2019 मे प्रारम्भ किया गया था तथा फरवरी 2025 तक किया गया है । पहले उमेर ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर ज्यादा पैसे लेकर कम रकम की बाण्ड कराने का फ्राड किया उसके बाद जब लोगो द्वार यह कहा गया कि पैसा ज्यादा लिया गया है और बाण्ड कम रकम की है तब उमेर व अज्ञात बैंक कर्मियों द्वारा शरद मौर्य पुत्र मायाराम मौर्य निवासी मीरापुर हयातगंज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर के साथ मिलकर एडिटड कूटरचित बाण्ड पेपर तैयार कर लोगो को दिया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया यह असली बाण्ड पेपर है । इस प्रकार उमेर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग दो करोड़ रुपये का फ्राड किया गया है । सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-31/26 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । सम्बन्धित मुकदमे मे अभियुक्त को जेल भेजेते हुए एक अर्टिका कार , एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटी , एक सैमसंग गैलेक्सी एस-23, एक आईफोन को अपराध से अर्जित सम्पत्ति मानकर मुकदमे का भाग बनाया जा रहा है । अभियुक्त उमेर के पास अन्य पंजीकृत वाहन, जमीन

व मकान तथा अन्य बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। सभी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनके साथ भी यही कार्यवाही कर सम्पत्ति को मुकदमे में अटेच किया जायेगा। इस प्रकरण में अबतक अभियुक्त द्वारा लोगों के खातों से अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजे गये पैसे के सम्बन्ध में 13 खातों सीज कराया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं० 246 वार्ड नं० 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण सीज की गयी सम्पत्ति

1. एक अर्टिका कार
2. एक बुलेट मोटरसाइकिल
3. एक स्कूटी
4. एक सैमसंग गैलेक्सी एस23
5. एक आईफोन 15-प्रो

विवरण सीज किये गये खातों

1. 13 खातों

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.02.2026

समय:- 07.05 बजे

विवरण आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त उमेर अहमद

1. मु०अ०सं०-31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरी०अप० श्रीचन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे०का० राजेन्द्र प्रसाद थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
3. का० भूपेन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
4. म०का० आरती पाण्डेय थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर





प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-06.02.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा अंतर्गत स्थित शाखा छज्जापुर पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी/गबन करने से सम्बंधित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद को थाना कोतवाली टांडा

पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में निरी0अप0 श्रीचन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद , का0 भूपेन्द्र यादव, म0का0 आरती पाण्डेय थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष को अभियुक्त को फुलवरिया तिराहे से दिनांक 06.02.2026 के समय 07.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वादिनी रूपवती पत्नी जगदीश प्रसाद तथा अन्य लगभग 15-16 व्यक्तियों द्वारा जनता दर्शन मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर करीब 32 वर्ष द्वारा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पालिसी देने के नाम पर एनटीपीसी व एनएचआई द्वारा अधीग्रहित भूमि से अर्जित मुआवजे की रकम को फ्राड कर हड़प लिया है । सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टाण्डा को दी गयी । जांच के क्रम में वादिनी रूपवती तथा अन्य लोगो के बयान से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त उमेर द्वारा पांच साल मे पैसे डबल करने का लालच देकर मुआवजा पाये व्यक्तियों से फ्राड किया गया है । अभियुक्त उमेर द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगो को प्रेरित कर पालिसी के नाम पर ब्लैंक चेक लिये गये है तथा कम पैसे की पालिसी कर बाकी पैसा अभियुक्त उमेर के सगे सम्बन्धियों के खाते में उमेर के खाते में तथा उमेर द्वारा नगद निकाला गया है । उमेर द्वारा अपने साथी शरद तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार फर्जी बाण्ड पेपर लोगो को देकर उनसे मुआवजे की रकम का भी फ्राड किया गया है । यह कार्य उमेर द्वारा वर्ष 2019 मे प्रारम्भ किया गया था तथा फरवरी 2025 तक किया गया है । पहले उमेर ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर ज्यादा पैसे लेकर कम रकम की बाण्ड कराने का फ्राड किया उसके बाद जब लोगो द्वार यह कहा गया कि पैसा ज्यादा लिया गया है और बाण्ड कम रकम की है तब उमेर व अज्ञात बैंक कर्मियों द्वारा शरद मौर्य पुत्र मायाराम मौर्य निवासी मीरापुर हयातगंज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर के साथ मिलकर एडिटड कूटरचित बाण्ड पेपर तैयार कर लोगो को दिया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया यह असली बाण्ड पेपर है । इस प्रकार उमेर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग दो करोड़ रुपये का फ्राड किया गया है । सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-31/26 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । सम्बन्धित मुकदमे मे अभियुक्त को जेल भेजते हुए एक अर्टिका कार , एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटी , एक सैमसंग गैलेक्सी एस-23, एक आईफोन को अपराध से अर्जित सम्पत्ति मानकर मुकदमे का भाग बनाया जा रहा है । अभियुक्त उमेर के पास अन्य पंजीकृत वाहन, जमीन

व मकान तथा अन्य बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। सभी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनके साथ भी यही कार्यवाही कर सम्पत्ति को मुकदमे में अटेच किया जायेगा। इस प्रकरण में अबतक अभियुक्त द्वारा लोगों के खातों से अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजे गये पैसे के सम्बन्ध में 13 खातों सीज कराया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं० 246 वार्ड नं० 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण सीज की गयी सम्पत्ति

1. एक अर्टिका कार
2. एक बुलेट मोटरसाइकिल
3. एक स्कूटी
4. एक सैमसंग गैलेक्सी एस23
5. एक आईफोन 15-प्रो

विवरण सीज किये गये खातों

1. 13 खातों

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.02.2026

समय:- 07.05 बजे

विवरण आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त उमेर अहमद

1. मु०अ०सं०-31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरी०अप० श्रीचन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे०का० राजेन्द्र प्रसाद थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
3. का० भूपेन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
4. म०का० आरती पाण्डेय थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर





प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-06.02.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा अंतर्गत स्थित शाखा छज्जापुर पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी/गबन करने से सम्बंधित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद को थाना कोतवाली टांडा

पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में निरी0अप0 श्रीचन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद , का0 भूपेन्द्र यादव, म0का0 आरती पाण्डेय थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष को अभियुक्त को फुलवरिया तिराहे से दिनांक 06.02.2026 के समय 07.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वादिनी रूपवती पत्नी जगदीश प्रसाद तथा अन्य लगभग 15-16 व्यक्तियों द्वारा जनता दर्शन मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर करीब 32 वर्ष द्वारा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पालिसी देने के नाम पर एनटीपीसी व एनएचआई द्वारा अधीग्रहित भूमि से अर्जित मुआवजे की रकम को फ्राड कर हड़प लिया है । सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टाण्डा को दी गयी । जांच के क्रम में वादिनी रूपवती तथा अन्य लोगो के बयान से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त उमेर द्वारा पांच साल मे पैसे डबल करने का लालच देकर मुआवजा पाये व्यक्तियों से फ्राड किया गया है । अभियुक्त उमेर द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगो को प्रेरित कर पालिसी के नाम पर ब्लैंक चेक लिये गये है तथा कम पैसे की पालिसी कर बाकी पैसा अभियुक्त उमेर के सगे सम्बन्धियों के खाते में उमेर के खाते में तथा उमेर द्वारा नगद निकाला गया है । उमेर द्वारा अपने साथी शरद तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार फर्जी बाण्ड पेपर लोगो को देकर उनसे मुआवजे की रकम का भी फ्राड किया गया है । यह कार्य उमेर द्वारा वर्ष 2019 मे प्रारम्भ किया गया था तथा फरवरी 2025 तक किया गया है । पहले उमेर ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर ज्यादा पैसे लेकर कम रकम की बाण्ड कराने का फ्राड किया उसके बाद जब लोगो द्वार यह कहा गया कि पैसा ज्यादा लिया गया है और बाण्ड कम रकम की है तब उमेर व अज्ञात बैंक कर्मियों द्वारा शरद मौर्य पुत्र मायाराम मौर्य निवासी मीरापुर हयातगंज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर के साथ मिलकर एडिटड कूटरचित बाण्ड पेपर तैयार कर लोगो को दिया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया यह असली बाण्ड पेपर है । इस प्रकार उमेर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग दो करोड़ रुपये का फ्राड किया गया है । सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-31/26 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । सम्बन्धित मुकदमे मे अभियुक्त को जेल भेजते हुए एक अर्टिका कार , एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटी , एक सैमसंग गैलेक्सी एस-23, एक आईफोन को अपराध से अर्जित सम्पत्ति मानकर मुकदमे का भाग बनाया जा रहा है । अभियुक्त उमेर के पास अन्य पंजीकृत वाहन, जमीन

व मकान तथा अन्य बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। सभी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनके साथ भी यही कार्यवाही कर सम्पत्ति को मुकदमे में अटेच किया जायेगा। इस प्रकरण में अबतक अभियुक्त द्वारा लोगों के खातों से अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजे गये पैसे के सम्बन्ध में 13 खातों सीज कराया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं० 246 वार्ड नं० 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण सीज की गयी सम्पत्ति

1. एक अर्टिका कार
2. एक बुलेट मोटरसाइकिल
3. एक स्कूटी
4. एक सैमसंग गैलेक्सी एस23
5. एक आईफोन 15-प्रो

विवरण सीज किये गये खातों

1. 13 खातों

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.02.2026

समय:- 07.05 बजे

विवरण आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त उमेर अहमद

1. मु०अ०सं०-31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरी०अप० श्रीचन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे०का० राजेन्द्र प्रसाद थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
3. का० भूपेन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
4. म०का० आरती पाण्डेय थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर





प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-06.02.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा अंतर्गत स्थित शाखा छज्जापुर पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी/गबन करने से सम्बंधित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद को थाना कोतवाली टांडा

पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में निरी0अप0 श्रीचन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद , का0 भूपेन्द्र यादव, म0का0 आरती पाण्डेय थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष को अभियुक्त को फुलवरिया तिराहे से दिनांक 06.02.2026 के समय 07.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वादिनी रूपवती पत्नी जगदीश प्रसाद तथा अन्य लगभग 15-16 व्यक्तियों द्वारा जनता दर्शन मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर करीब 32 वर्ष द्वारा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पालिसी देने के नाम पर एनटीपीसी व एनएचआई द्वारा अधीग्रहित भूमि से अर्जित मुआवजे की रकम को फ्राड कर हड़प लिया है । सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टाण्डा को दी गयी । जांच के क्रम में वादिनी रूपवती तथा अन्य लोगो के बयान से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त उमेर द्वारा पांच साल मे पैसे डबल करने का लालच देकर मुआवजा पाये व्यक्तियों से फ्राड किया गया है । अभियुक्त उमेर द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगो को प्रेरित कर पालिसी के नाम पर ब्लैंक चेक लिये गये है तथा कम पैसे की पालिसी कर बाकी पैसा अभियुक्त उमेर के सगे सम्बन्धियों के खाते में उमेर के खाते में तथा उमेर द्वारा नगद निकाला गया है । उमेर द्वारा अपने साथी शरद तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार फर्जी बाण्ड पेपर लोगो को देकर उनसे मुआवजे की रकम का भी फ्राड किया गया है । यह कार्य उमेर द्वारा वर्ष 2019 मे प्रारम्भ किया गया था तथा फरवरी 2025 तक किया गया है । पहले उमेर ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर ज्यादा पैसे लेकर कम रकम की बाण्ड कराने का फ्राड किया उसके बाद जब लोगो द्वार यह कहा गया कि पैसा ज्यादा लिया गया है और बाण्ड कम रकम की है तब उमेर व अज्ञात बैंक कर्मियों द्वारा शरद मौर्य पुत्र मायाराम मौर्य निवासी मीरापुर हयातगंज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर के साथ मिलकर एडिटड कूटरचित बाण्ड पेपर तैयार कर लोगो को दिया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया यह असली बाण्ड पेपर है । इस प्रकार उमेर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग दो करोड़ रुपये का फ्राड किया गया है । सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-31/26 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । सम्बन्धित मुकदमे मे अभियुक्त को जेल भेजते हुए एक अर्टिका कार , एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटी , एक सैमसंग गैलेक्सी एस-23, एक आईफोन को अपराध से अर्जित सम्पत्ति मानकर मुकदमे का भाग बनाया जा रहा है । अभियुक्त उमेर के पास अन्य पंजीकृत वाहन, जमीन

व मकान तथा अन्य बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। सभी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनके साथ भी यही कार्यवाही कर सम्पत्ति को मुकदमे में अटेच किया जायेगा। इस प्रकरण में अबतक अभियुक्त द्वारा लोगों के खातों से अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजे गये पैसे के सम्बन्ध में 13 खातों सीज कराया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं० 246 वार्ड नं० 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण सीज की गयी सम्पत्ति

1. एक अर्टिका कार
2. एक बुलेट मोटरसाइकिल
3. एक स्कूटी
4. एक सैमसंग गैलेक्सी एस23
5. एक आईफोन 15-प्रो

विवरण सीज किये गये खातों

1. 13 खातों

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.02.2026

समय:- 07.05 बजे

विवरण आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त उमेर अहमद

1. मु०अ०सं०-31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरी०अप० श्रीचन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे०का० राजेन्द्र प्रसाद थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
3. का० भूपेन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
4. म०का० आरती पाण्डेय थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर





प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-06.02.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा अंतर्गत स्थित शाखा छज्जापुर पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी/गबन करने से सम्बंधित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद को थाना कोतवाली टांडा

पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में निरी0अप0 श्रीचन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद , का0 भूपेन्द्र यादव, म0का0 आरती पाण्डेय थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष को अभियुक्त को फुलवरिया तिराहे से दिनांक 06.02.2026 के समय 07.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वादिनी रूपवती पत्नी जगदीश प्रसाद तथा अन्य लगभग 15-16 व्यक्तियों द्वारा जनता दर्शन मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर करीब 32 वर्ष द्वारा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पालिसी देने के नाम पर एनटीपीसी व एनएचआई द्वारा अधीग्रहित भूमि से अर्जित मुआवजे की रकम को फ्राड कर हड़प लिया है । सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टाण्डा को दी गयी । जांच के क्रम में वादिनी रूपवती तथा अन्य लोगो के बयान से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त उमेर द्वारा पांच साल मे पैसे डबल करने का लालच देकर मुआवजा पाये व्यक्तियों से फ्राड किया गया है । अभियुक्त उमेर द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगो को प्रेरित कर पालिसी के नाम पर ब्लैंक चेक लिये गये है तथा कम पैसे की पालिसी कर बाकी पैसा अभियुक्त उमेर के सगे सम्बन्धियों के खाते में उमेर के खाते में तथा उमेर द्वारा नगद निकाला गया है । उमेर द्वारा अपने साथी शरद तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार फर्जी बाण्ड पेपर लोगो को देकर उनसे मुआवजे की रकम का भी फ्राड किया गया है । यह कार्य उमेर द्वारा वर्ष 2019 मे प्रारम्भ किया गया था तथा फरवरी 2025 तक किया गया है । पहले उमेर ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर ज्यादा पैसे लेकर कम रकम की बाण्ड कराने का फ्राड किया उसके बाद जब लोगो द्वार यह कहा गया कि पैसा ज्यादा लिया गया है और बाण्ड कम रकम की है तब उमेर व अज्ञात बैंक कर्मियों द्वारा शरद मौर्य पुत्र मायाराम मौर्य निवासी मीरापुर हयातगंज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर के साथ मिलकर एडिटड कूटरचित बाण्ड पेपर तैयार कर लोगो को दिया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया यह असली बाण्ड पेपर है । इस प्रकार उमेर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग दो करोड़ रुपये का फ्राड किया गया है । सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-31/26 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । सम्बन्धित मुकदमे मे अभियुक्त को जेल भेजेते हुए एक अर्टिका कार , एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटी , एक सैमसंग गैलेक्सी एस-23, एक आईफोन को अपराध से अर्जित सम्पत्ति मानकर मुकदमे का भाग बनाया जा रहा है । अभियुक्त उमेर के पास अन्य पंजीकृत वाहन, जमीन

व मकान तथा अन्य बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। सभी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनके साथ भी यही कार्यवाही कर सम्पत्ति को मुकदमे में अटेच किया जायेगा। इस प्रकरण में अबतक अभियुक्त द्वारा लोगों के खातों से अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजे गये पैसे के सम्बन्ध में 13 खातों सीज कराया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं० 246 वार्ड नं० 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण सीज की गयी सम्पत्ति

1. एक अर्टिका कार
2. एक बुलेट मोटरसाइकिल
3. एक स्कूटी
4. एक सैमसंग गैलेक्सी एस23
5. एक आईफोन 15-प्रो

विवरण सीज किये गये खातों

1. 13 खातों

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.02.2026

समय:- 07.05 बजे

विवरण आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त उमेर अहमद

1. मु०अ०सं०-31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरी०अप० श्रीचन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे०का० राजेन्द्र प्रसाद थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
3. का० भूपेन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
4. म०का० आरती पाण्डेय थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर





प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-06.02.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा अंतर्गत स्थित शाखा छज्जापुर पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी/गबन करने से सम्बंधित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद को थाना कोतवाली टांडा

पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में निरी0अप0 श्रीचन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद , का0 भूपेन्द्र यादव, म0का0 आरती पाण्डेय थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष को अभियुक्त को फुलवरिया तिराहे से दिनांक 06.02.2026 के समय 07.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वादिनी रूपवती पत्नी जगदीश प्रसाद तथा अन्य लगभग 15-16 व्यक्तियों द्वारा जनता दर्शन मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर करीब 32 वर्ष द्वारा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पालिसी देने के नाम पर एनटीपीसी व एनएचआई द्वारा अधीग्रहित भूमि से अर्जित मुआवजे की रकम को फ्राड कर हड़प लिया है । सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टाण्डा को दी गयी । जांच के क्रम में वादिनी रूपवती तथा अन्य लोगो के बयान से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त उमेर द्वारा पांच साल मे पैसे डबल करने का लालच देकर मुआवजा पाये व्यक्तियों से फ्राड किया गया है । अभियुक्त उमेर द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगो को प्रेरित कर पालिसी के नाम पर ब्लैंक चेक लिये गये है तथा कम पैसे की पालिसी कर बाकी पैसा अभियुक्त उमेर के सगे सम्बन्धियों के खाते में उमेर के खाते में तथा उमेर द्वारा नगद निकाला गया है । उमेर द्वारा अपने साथी शरद तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार फर्जी बाण्ड पेपर लोगो को देकर उनसे मुआवजे की रकम का भी फ्राड किया गया है । यह कार्य उमेर द्वारा वर्ष 2019 मे प्रारम्भ किया गया था तथा फरवरी 2025 तक किया गया है । पहले उमेर ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर ज्यादा पैसे लेकर कम रकम की बाण्ड कराने का फ्राड किया उसके बाद जब लोगो द्वार यह कहा गया कि पैसा ज्यादा लिया गया है और बाण्ड कम रकम की है तब उमेर व अज्ञात बैंक कर्मियों द्वारा शरद मौर्य पुत्र मायाराम मौर्य निवासी मीरापुर हयातगंज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर के साथ मिलकर एडिटड कूटरचित बाण्ड पेपर तैयार कर लोगो को दिया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया यह असली बाण्ड पेपर है । इस प्रकार उमेर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग दो करोड़ रुपये का फ्राड किया गया है । सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-31/26 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । सम्बन्धित मुकदमे मे अभियुक्त को जेल भेजते हुए एक अर्टिका कार , एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटी , एक सैमसंग गैलेक्सी एस-23, एक आईफोन को अपराध से अर्जित सम्पत्ति मानकर मुकदमे का भाग बनाया जा रहा है । अभियुक्त उमेर के पास अन्य पंजीकृत वाहन, जमीन

व मकान तथा अन्य बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। सभी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनके साथ भी यही कार्यवाही कर सम्पत्ति को मुकदमे में अटेच किया जायेगा। इस प्रकरण में अबतक अभियुक्त द्वारा लोगों के खातों से अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजे गये पैसे के सम्बन्ध में 13 खातों सीज कराया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं० 246 वार्ड नं० 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण सीज की गयी सम्पत्ति

1. एक अर्टिका कार
2. एक बुलेट मोटरसाइकिल
3. एक स्कूटी
4. एक सैमसंग गैलेक्सी एस23
5. एक आईफोन 15-प्रो

विवरण सीज किये गये खातों

1. 13 खातों

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.02.2026

समय:- 07.05 बजे

विवरण आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त उमेर अहमद

1. मु०अ०सं०-31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरी०अप० श्रीचन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे०का० राजेन्द्र प्रसाद थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
3. का० भूपेन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
4. म०का० आरती पाण्डेय थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर





प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना को0 टाण्डा

दिनांक-06.02.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा अंतर्गत स्थित शाखा छज्जापुर पंजाब नेशनल बैंक में हुई धोखाधड़ी/गबन करने से सम्बंधित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद को थाना कोतवाली टांडा

पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/पूर्वी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी टाण्डा के नेतृत्व में निरी0अप0 श्रीचन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद , का0 भूपेन्द्र यादव, म0का0 आरती पाण्डेय थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष को अभियुक्त को फुलवरिया तिराहे से दिनांक 06.02.2026 के समय 07.05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वादिनी रूपवती पत्नी जगदीश प्रसाद तथा अन्य लगभग 15-16 व्यक्तियों द्वारा जनता दर्शन मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं0 246 वार्ड नं0 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर करीब 32 वर्ष द्वारा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर पालिसी देने के नाम पर एनटीपीसी व एनएचआई द्वारा अधीग्रहित भूमि से अर्जित मुआवजे की रकम को फ्राड कर हड़प लिया है । सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी टाण्डा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टाण्डा को दी गयी । जांच के क्रम में वादिनी रूपवती तथा अन्य लोगो के बयान से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त उमेर द्वारा पांच साल मे पैसे डबल करने का लालच देकर मुआवजा पाये व्यक्तियों से फ्राड किया गया है । अभियुक्त उमेर द्वारा बैंक कर्मियों के साथ मिलकर लोगो को प्रेरित कर पालिसी के नाम पर ब्लैंक चेक लिये गये है तथा कम पैसे की पालिसी कर बाकी पैसा अभियुक्त उमेर के सगे सम्बन्धियों के खाते में उमेर के खाते में तथा उमेर द्वारा नगद निकाला गया है । उमेर द्वारा अपने साथी शरद तथा अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार फर्जी बाण्ड पेपर लोगो को देकर उनसे मुआवजे की रकम का भी फ्राड किया गया है । यह कार्य उमेर द्वारा वर्ष 2019 मे प्रारम्भ किया गया था तथा फरवरी 2025 तक किया गया है । पहले उमेर ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर ज्यादा पैसे लेकर कम रकम की बाण्ड कराने का फ्राड किया उसके बाद जब लोगो द्वार यह कहा गया कि पैसा ज्यादा लिया गया है और बाण्ड कम रकम की है तब उमेर व अज्ञात बैंक कर्मियों द्वारा शरद मौर्य पुत्र मायाराम मौर्य निवासी मीरापुर हयातगंज थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर के साथ मिलकर एडिटड कूटरचित बाण्ड पेपर तैयार कर लोगो को दिया गया तथा उनको विश्वास दिलाया गया यह असली बाण्ड पेपर है । इस प्रकार उमेर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग दो करोड़ रुपये का फ्राड किया गया है । सम्बन्धित अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-31/26 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है । सम्बन्धित मुकदमे मे अभियुक्त को जेल भेजते हुए एक अर्टिका कार , एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटी , एक सैमसंग गैलेक्सी एस-23, एक आईफोन को अपराध से अर्जित सम्पत्ति मानकर मुकदमे का भाग बनाया जा रहा है । अभियुक्त उमेर के पास अन्य पंजीकृत वाहन, जमीन

व मकान तथा अन्य बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। सभी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनके साथ भी यही कार्यवाही कर सम्पत्ति को मुकदमे में अटेच किया जायेगा। इस प्रकरण में अबतक अभियुक्त द्वारा लोगों के खातों से अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजे गये पैसे के सम्बन्ध में 13 खातों सीज कराया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

1. उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी मकान नं० 246 वार्ड नं० 04 पीलीकोठी मुबारकपुर दक्षिणी थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

विवरण सीज की गयी सम्पत्ति

1. एक अर्टिका कार
2. एक बुलेट मोटरसाइकिल
3. एक स्कूटी
4. एक सैमसंग गैलेक्सी एस23
5. एक आईफोन 15-प्रो

विवरण सीज किये गये खातों

1. 13 खातों

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.02.2026

समय:- 07.05 बजे

विवरण आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त उमेर अहमद

1. मु०अ०सं०-31/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. निरी०अप० श्रीचन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे०का० राजेन्द्र प्रसाद थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
3. का० भूपेन्द्र यादव थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
4. म०का० आरती पाण्डेय थाना को० टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर

